

अनुमति की शर्तें।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में नियम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही नियम किसी कतिपयता के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक नियम का सुचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकल खंडकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 49 दिनांक 25/4/2019

प्रार्थी नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव श्रीवास्तव स/० श्री विरीश चन्द @ श्री

ने राजस्थान नगर पंचायत अधिनियम 2009 के अन्तर्गत आवासीय

धारा 194 के अन्तर्गत नगर निगम के कार्यालय में पेश P.No 19-A भैरव वि

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 24,23/- के अन्तर्गत क्लब के पास, 21.01-

जरिये रसीद संख्या 1005/717, 718 रुपये जमा

दिनांक 25/04/2019 को जमा करा दी है।

यशवीर
प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

पी+1

आवासीय

[Signature]
2073621220